

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना


संख्या-3/टी2-35/2016 श्र०सं०

पटना, दिनांक- 7-12-17

एस०ओ० श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-2441 दिनांक 28.05.2015 द्वारा बिहार श्रम सेवा सम्वर्ग के सभी स्तर के पदाधिकारियों यथा उपश्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त तथा श्रम अधीक्षक में सामान्य कार्य एवं कृषि श्रमिक से संबंधित कार्य की शक्तियाँ निहित की गई है। उक्त के आलोक में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-2/टी2-101816/92 श्र० एवं नि०-483 दिनांक 09.07.1992 को अवक्रमित करते हुए तथा ट्रेड यूनियन ऐक्ट, 1926 (16, 1926) की धारा-3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल सभी श्रम अधीक्षक को अपनी अधिकारिता में पड़ने वाले क्षेत्र के लिए उप निबंधक, श्रमिक संघ के रूप में, उक्त अधिनियम की धारा-7,8,9,23,25(4) 27 तथा 28 एवं बिहार ट्रेड यूनियन रेगुलेशन, 1928 के विनियमन 11,19(4) तथा 20 (फार्म-बी) के प्रयोजनार्थ एवं निबंधक, श्रमिक संघ, बिहार के पर्यवेक्षण एवं निदेशन के अन्तर्गत रहते हुए, मात्र कृषि में नियोजित कामगार के संघों के निमित्त निबंधक के कार्यों एवं शक्तियों के सम्पादन हेतु नियुक्त करते हैं।

सं०-3/टी2-35/2016 श्र०सं०- 7690

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(के० सेंथिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव।


अधिसूचना

पटना, दिनांक- 7-12-17

एस० ओ० पटना, दिनांक- का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

सं०-3/टी2-35/2016 श्र०सं०- 7691

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(के० सेंथिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

Notification

Patna, Dated- 7.12.17

S.O. Whereas the power of general work and related to agriculture labour is vested in all grades of Bihar Labour Service Cader Officers as Deputy Labour Commissioner, Assistant Labour Commissioner and Labour Superintendent vide Resolution No-2441, Dated-28.05.2015. Above mentioned in Supercession of notification no. 2/T2-101816/92 L&E-483, Dated-09.07.1992 and in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of section-3 of the Trade Union Act, 1926 (XVI of 1926), the Governor of Bihar is pleased to appoint all Superintendents of Labour as Deputy Registrar of Trade Union within their respective Jurisdictions for the purpose of exercising and discharging the powers of Registrar of Trade Union under the supervision and Direction of the Registrar of Trade Union, Bihar, Under Section 7,8,9,23,25(4),27 and 28 of the said Act and regulations, 11,19(4) and 20 (Form B) of the Bihar Trade Union Regulations, 1928 exclusively in respect of trade union of workmen employed in Agriculture.

No. 3/T2- 35/2016 L.R- 7690

By order of the Governor of Bihar,


(K. Senthil Kumar)


Addl. Secretary to Govt.

ज्ञापांक-3/टी2-35/2016 श्र०सं०-

7691

पटना, दिनांक- 7.12.17

प्रतिलिपि :- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


(के० सेंथिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव।


ज्ञापांक :- 3/टी2-35/2016 श्र०सं०-

7691

पटना, दिनांक

7.12.17

प्रतिलिपि :- सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना/ मुजफ्फरपुर/पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पटना/भांगलपुर/मोतिहारी/बेगूसराय/ मुजफ्फरपुर/डालमियाँनगर/छपरा/पूर्णियाँ/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।